न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावा जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी – मुनेश कुमारी (आर.ए.एस.)

मु0न0 407/2024 उनवान मनभरी बनाम नन्दकिशोर वगै0

मनभरी वगैरह वादी

बनाम

नन्दकिशोर वगैरह (प्रतिवादी)

दावा बाबत विभाजन

—:: निर्णय ::—

दिनांक : 26.06.2025

न्यायालय हाजा द्वारा 407/2024 उनवान मनभरी बनाम नन्दकिशोर वगै0 में वाद वादी दिनांक 21.12.2023 को प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार मण्डावा को मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया एवं मुताबिक निर्णय पक्षकारान की मौजूदगी में कब्जे काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पालना प्रस्तुत करने बाबत आदेशित किया गया। तहसीलदार मण्डावा द्वारा विभाजन प्रस्ताव जरिये पालना रिपोर्ट पत्रांक मू.त्र./2025/797 दिनांक 17.05.2025 प्रस्तुत करने पर बहस विभाजन प्रस्ताव पर वकील उभय पक्ष सुनी गई। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा सहमति जाहिर की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। राजस्व ग्राम कुहाडू के भूमि ख.न. 159 रकबा 1.00 हैक्टर, का निम्न प्रकार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है:—

क्र.सं.	नाम घोषित खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टर में)	भूमि किस्म
1	नन्दकिशोर पत्नी गोरूराम जाति जाट सा. देह महरादासी राहिन वीआरकेवी महरादासी	ग्राम कुहाडू		
		159मी.	0.50	बा. 1
	योग	किता 01	0.50	—
2	मनभरी पत्नी मोहनलाल जाति जाट सा. महरादासी राहिन वीआरकेवी महरादासी	159 मी.	0.50	बारानी —1

तहसीलदार मण्डावा को आदेशित किया जाता है कि मुताविक निर्णय राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त कर राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप वटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। उक्त निर्णय से यदि पक्षकारान् संतुष्ट नही है तो पक्षकारान् अपीलीय न्यायालय में अपील दायर करने हेतु स्वतंत्र रहेगा। पत्रावली फैसल सुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा वाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 26.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुनेश कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा
जिला झुन्झुनू

आदेश 20 के नियम 6 व 7 (जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मण्डावा जिला झुंझुनू (राज0)

पिठासीन अधिकारी – मुनेश कुमारी
(आर.ए.एस.)

दावा विभाजन बावत बंटवारा

अन्तिम वाद डिकी

मुकदमा नम्बर :– 407/2022 उनवान मनभरी बनाम कानसिंह वगै0

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रुबरू, मुनेश कुमारी(आर.ए.एस.), उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा बहाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुददई रुबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुददालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है।

इस न्यायालय के निर्णय दिनांक **26.06.2025** निर्णय वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम कुहाडू के भूमि ख.न. 159 रकबा 1.00 हैक्टर, का निम्न प्रकार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है:–

क्र.सं.	नाम घोषित खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टर में)	भूमि किस्म
		ग्राम कुहाडू		
1	नन्दकिशोर पत्नी गोरुराम जाति जाट सा. देह महरादासी राहिन बीआरकेबी महरादासी	159मी.	0.50	बा. 1
	योग	किता 01	0.50	–
2	मनभरी पत्नी मोहनलाल जाति जाट सा. महरादासी राहिन बीआरकेबी महरादासी	159 मी.	0.50	बारानी –1

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 26.06.2025 को जारी की गई।

मुनेश कुमारी (R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा